डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजी क्रमांक रायपुर डिवीजन

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 91] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 11 मई 2001—वैशाख 21, शक 1923

शिक्षा विभाग
मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 मई 2001

अधिसूचना

क्रमांक एफ. 73/1/99/सी 3/38.—यत: इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 73/1/99/सी 3/38 दिनांक 7 जनवरी 2000 द्वारा राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन उक्त अधिनियम की धारा 13, 14, 20 से 25, 40, 47, 48, 54 तथा 67 के उपबंध उक्त अधिनियम की तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुए दिनांक 8 जनवरी 2000 से पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में लागू किए गए जिसे मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 52 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना की प्रवर्तन की कालावधि में दिनांक 8 जनवरी 2001 से आगे एक वर्ष की कालावधि की और वृद्धि की गई.

और यत: सरकार को यह समाधान हो गया है कि उपरोक्त विश्वविद्यालय में अब ऐसी परिस्थितियां विद्यमान नहीं है जिससे कि उपरोक्त विश्वविद्यालय के प्रशासन के सुचारू संचालन हेतु उक्त अधिनियमों के उपबंधों के अध्यधीन संचालित करने की आवश्यकता हो.

अतएव मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 52 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 73/1/99/सी 3/38 दिनांक 7 जनवरी 2001, जिसके द्वारा दिनांक 8 जनवरी 2001 से आगे एक वर्ष की कालावृद्धि की गई थी, को एतद्द्वारा नये कुलपति द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निरस्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वी. के. मिन्ज, संयुक्त सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.

डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजी क्रमांक रायपुर डिवीजन

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 92] रायपुर, सोमवार, दिनांक 14 मई 2001—वैशाख 24, शक 1923

वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग
मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 मई 2001

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/3/2001/वा.क./पांच (13).—छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (1995 का क्रमांक 5) की धारा 80 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/3/2001/पांच (8) दिनांक 1-5-2001 में निम्नलिखित संशोधन करता है :

संशोधन

1. नियम 74-ए के उपनियम 5(2) (एफ) में शब्द ''या किसी ऐसी कालावधि के संबंध में जिसके लिये उस पर उपरोक्त अधिनियमों के अंतर्गत कर निर्धारण किया गया है तथा कर बकाया है'' तथा ''या संबंधित कालावधि के लिये बकाया कर का भुगतान न कर दे'' एवं उपनियम के अन्त में स्थापित परन्तुक को विलोपित किया जावे.

2. फार्म नंबर 59 (ए) 1.के कालम नंबर-10 में शब्द बीजक के पश्चात् शब्द ''बिल या चालान'' जोड़ा जावे तथा शब्द ''माल के प्रेषक के हस्ताक्षर'' के स्थान पर शब्द ''परिवहनकर्त्ता के हस्ताक्षर'' प्रतिस्थापित किया जावे.

3. नियम 74-ए के उपनियम (8) के पश्चात् उल्लेखित परन्तुक को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर शब्द एवं वाक्य ''व्यवसायी उसे जारी किये गये पुराने फार्मों का हिसाब प्रत्येक तिमाही के पश्चात् उपयुक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी को देगा'' प्रतिस्थापित किया जावे.

4. फार्म 59-ए (2) में शब्द एवं वाक्य "या मेरे/हमारे विरुद्ध अधिनियम के अधीन कर और/या शास्ति की राशि, जिसके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं बकाया हैं" तथा "कालावधि कर/शास्ति की राशि" को विलोपित किया जावे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 14th May 2001

NOTIFICATION

No. F-10/3/2001/CT/V (13).—In exercise of powers conferred by Section 80 of Chhattisgarh Commercial Tax Act, 1994 (No. 5 of 1995) the State Government hereby make the following amendments in this department Notification No. F/10/3/2001/V/(8) dated 1-5-2001.

AMENDMENTS

1. In sub rule 5 (2) (f) of rule 74-A the words "or is in arrears of fax under the Acts in respect of any period for which he has been assessed to tax "and "or pays the arrears for the relevant period", and the proviso at the end of the sub rule shall be omitted.

2. In the form 59-(A)-1 in column No. 10 after the word "Invoice" the words "Bill or Challan" shall be inserted and the words" Signature of the Consignor of the goods" shall be replaced by words" Signature of the Transporter".

3. The proviso after sub rule (8) of rule 74-A shall be omitted and words and sentence "The dealer shall render the account of the old forms issued to him at the end of each quarter to the appropriate Commercial Tax Officer" shall be inserted.

4. In the form 59-A-2 the words and sentence "or I/We are in arrears of tax and/or penalty under the Act the particulars of which are given below "and "Period amount of tax/penalty" shall be omitted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Deputy Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.

डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 92-अ] रायपुर, बुधवार, दिनांक 16 मई 2001—वैशाख 26, शक 1923

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 मई 2001

क्रमांक डी/2233/21-अ (प्रारूपण) छग/2001.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा बनाया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. एस. उबोवेजा, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अध्यादेश

क्रमांक 4 सन् 2001

छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश, 2001

भारत के गणराज्य के 52वें वर्ष में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति, अधिनियम, 1995 संशोधित करने हेतु अध्यादेश

यत: राज्य के विधान मंडल का सत्र चालू नहीं है और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तुरन्त कार्यवाही करें ;

अतएव भारत के संविधान के अनुच्छेद 213, खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते है :—

संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा विस्तार.

(1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति अधिनियम (संशोधन) (क्रमांक सन् 2001) है.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ पर है.

(3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिए भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी.

2. वृहत नाम का संशोधन

छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 (क्रमांक 19 सन् 1995) (जो इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" के नाम से निर्दिष्ट है) के वर्तमान वृहत नाम के स्थान पर, निम्नलिखित वृहत नाम स्थापित किया जाए, अर्थात्—

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-य घ के प्रयोजन के लिए जिला योजना समिति का गठन करने के लिए अधिनियम.

3. धारा 3 का संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

किसी राजस्व जिले या राजस्व जिलों के किसी समूह (ग्रुप) या उसके किसी भाग जो एक ही जिला पचांयत में है, की पंचायतों तथा नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने तथा सम्पूर्ण जिले के विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए एक जिला योजना समिति का गठन किया जायेगा.

4. धारा 7-क का लोप

मूल अधिनियम की धारा 7-क का लोप किया जाए.

5. अनुसूची का स्थापन.

मूल अधिनियम की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जावे अर्थात्—

"अनुसूची"

[धारा 4(1) देखिए]

क्र.	समिति का नाम	सदस्यों की संख्या
(1)	(2)	(3)
1.	निम्नलिखित जिलों की जिला योजना समिति	10

(1)	(2)	(3)
	1. कोरिया 2. जशपुर 3. कवर्धा 4. धमतरी 5. कांकेर 6. दंतेवाड़ा	
2.	निम्नलिखित जिलों की जिला योजना समिति 1. कोरबा 2. महासमुन्द	15
3.	निम्नलिखित जिलों की जिला योजना समिति 1. जांजगीर 2. रायगढ़ 3. राजनांदगांव 4. बस्तर 5. सरगुजा 6. बिलासपुर 7. दुर्ग 8. रायपुर	20

रायपुर

दिनांक

सही/
राज्यपाल
छत्तीसगढ़.

रायपुर, दिनांक 16 मई 2001

क्रमांक डी/2233/21-अ (प्रारूपण) छग/2001.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश, 2001 (क्रमांक 4 सन् 2001) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. एस. उबोवेजा, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ORDINANCE
No. 4 of 2001

THE CHHATTISGARH ZILA YOJANA SAMITI ADHINIYAM (SANSODHAN) ADHYADESH, 2001

Promulgated by the Governor of Chhattisgarh in the fifty-second year of the Republic of India

An Ordinance to amend the Chhattisgarh Zila Yojana Samiti Adhiniyam, 1995.

Whereas it is expedient to amend the Chhattisgarh Zila Yojana Samiti Adhiniyam, 1995;

AND WHEREAS the State Legislature is not in session, and the Governor of CHATTISGARH is satisfied that circumstances exit which render it necessary for him to take immediate action :—

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh is pleased to promulgate the following ordenance :—

Short title, extent and commencement.

(1) This Ordinance may be called the Chhattisgarh Zila Yojna Samiti Adhiniyam (Sanshodhan) Adhyadesh, 2001.

(2) It extends to the whole of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint for different areas.

2. Amendment of long title.

2. for the existing long title of the Chhattisgarh Zila Yojna Samiti Adhiniyam, 1995 (No.19 of 1995) (hereinafter referred to as the Principal Act.), the following long title shall be substituted. namely, :—

"An Act to constitute District Planning Committee for the purpose of Article 243-ZD or the Constitution of India.

3. Amendment of Section 3

For sub-section (1) of Section 3 of the Principal Act, the following sub-section shall be substituted, namely :—

"(1) There shall be constituted for a revenue district or a group of districts, and parts thereof, having a common Zila Panchayat, a District Planning Committee, to consolidate the plans prepared by the Panchayats and Municipalities in the district and to prepare a draft development plan for the district as whole.

4. Omission of Section 7-A.

Section 7-A of the Principal Act shall be omitted.

5. Substitution of Schedule.

For the schedule to the Principal Act, the following schedule shall be substituted, namely :—

"THE SCHEDULE"
[See Section 4 (1)]

S. No. (1)	Name of the Committee (2)	Number of Member (3)
1.	District Planning Committee of the Districts of 1. Korea 2. Jashpur	10

(1)	(2)	(3)
	3. Kawardha 4. Dhamtari 5. Kanker 6. Dantewada	
2.	District Planning Committee of the Districts of 1. Korba 2. Mahasamund	15
3.	District Planning Committee of the Districts of 1. Janjgir 2. Raigarh 3. Rajnandgaon 4. Bastar 5. Sarguja 6. Bilaspur 7. Durg 8. Raipur	20

Raipur

Date

Sd/-
Governor
Chhattisgarh.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.